संख्या:17/2015/बी-2-2642/दस- दस-2015-2/2015
पंचायती राज अनुभाग-3 पत्रावली संख्या-306/2014

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 सितम्बर, 2015

विषय: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में पंचायती राज संस्थाओं के लिये व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि में से पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के लिये मात्राकृत 0.15% धनराशि के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3/365/2/2015-6/268/83 दिनांक 14 अगस्त, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-61 में पंचायती राज संस्थाओं के लिये व्यवस्थित धनराशि रूपये 4070.6500 करोड़ में से, संस्तुति संख्या-23 के अनुसार पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु मात्राकृत 0.15% धनराशि रूपये 6.1060 करोड़ में से **रूपये 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़ मात्र)** निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल इन शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं किः-

1- उक्त धनराशि, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं कार्यों हेतु व्यय की जायेगी, जिन कार्यों के लिये वह स्वीकृत की जा रही है।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

..2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 17/2015/बी-2-2642(1)/दस-2015-2/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) उ0प्र0 शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6- निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, दसवां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।